रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102022-239919
CG-DL-E-28102022-239919

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707] नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 28, 2022/कार्तिक 6, 1944
No. 707] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 6, 1944

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2022

**सा.का.नि. 794(अ).**—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (य) और खंड (यछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2.** सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के, उप-नियम (1) में, खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘‘(टक) ‘शिकायत अपीलीय समिति‘ से नियम 3क के अधीन गठित एक शिकायत अपीलीय समिति अभिप्रेत है;”।

**3.** उक्त नियम के नियम 3 में,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(i) खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) मध्यवर्ती प्रमुख रूप से अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर, यथास्थिति, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पसंद की भाषा में अपने कंप्यूटर संसाधन तक पहुँच या उपयोग और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति और उपयोक्ता करार को प्रकाशित करेगा;

(ख) मध्यवर्ती, उपयोक्ता को अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसकी पसंद की भाषा में अपने नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति और उपयोक्ता करार के विषय में सूचित करेगा और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोक्ता को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, उपांतरित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करने के लिए समुचित प्रयास करेगा जो,—

(i) किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है जिसके प्रति उपयोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है;

(ii) अश्लील, कामोद्दीपक, बालयौन शोषण संबंधी, शारीरिक निजता सहित दूसरे की निजता को भंग करने वाली, लिंग के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न करने वाली, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, धन-शोधन या जुए से संबंधित या प्रोत्साहित करने वाली, या हिंसा भड़काने के आशय से धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली है;

(iii) बालक के लिए हानिप्रद है;

(iv) किसी पेटेंट, व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्याधिकार या अन्य सांपातिक अधिकारों का अतिलंघन करती है;

(v) संदेश की उत्पत्ति के बारे में पता करने वाले को धोखा देना या गुमराह करना या जानबूझकर और साशय किसी भी गलत सूचना या जानकारी को संप्रेषित करती है जो स्पष्ट रूप से झूठी और असत्य या भ्रामक प्रकृति की है;

(vi) किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती है;

(vii) भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, या लोक व्यवस्था को चुनौती देती है, या किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए उद्दीप्त करती है, या किसी अपराध के अन्वेषण को रोकती है, या अन्य राष्ट्र का अपमान करती है;

(viii) सॉफ्टवेयर वायरस या किसी कंप्यूटर संसाधन में व्यवधान डालने, उसे नष्ट करने या उसके कार्य करने को सीमित करने के लिए डिजाइन किये गये किसी अन्य कंप्यूटर कोड, फाइल या प्रोग्राम से युक्त है;

(ix) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करती है;";

(ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) मध्यवर्ती समय-समय पर, और वर्ष में कम से कम एक बार, अपने उपयोक्ताओं को अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उनकी पसंद की किसी भी भाषा में अपने नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति, या उपयोक्ता समझौते या नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति या उपयोक्ता समझौते में कोई परिवर्तन, यथास्थिति, के बारे में सूचित करेगा;";

(iii) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ड) मध्यवर्ती अपेक्षित सावधानी, गोपनीयता और पारदर्शिता की युक्तियुक्त अपेक्षा के साथ उपयोक्ताओं के लिए अपनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेगा;

(ढ) मध्यवर्ती संविधान के अधीन नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 सम्मिलित हैं, का सम्मान करेगा।";

(ख) उप-नियम (2) में, खंड (क) में, उप-खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा :—

"(i) चौबीस घंटे के भीतर शिकायत की पावती देना और ऐसी शिकायत को प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर हल करना :

परन्तु यह कि उप-खंड (i), (iv) और (ix) के सिवाय, नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) से संबंधित सूचना या संचार लिंक को हटाने के अनुरोध की प्रकृति की शिकायत पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और ऐसी रिपोर्टिंग के बहत्तर घंटों के भीतर हल की जाएगी :

परन्तु यह और कि उपयोक्ताओं द्वारा किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए मध्यवर्ती द्वारा उचित सुरक्षा उपाय विकसित किए जा सकते हैं;"।

**4.** उक्त नियम के नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**3क. शिकायत अपीलीय समिति (समितियों) के समक्ष अपील.—**(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 के आरम्भ होने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना करेगी।

(2) प्रत्येक शिकायत अपीलीय समिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे।

(3) शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर शिकायत अपीलीय समिति को अपील कर सकता है।

(4) शिकायत अपीलीय समिति ऐसी अपील पर शीघ्र कार्रवाई करेगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस कैलेंडर दिनों के भीतर अपील को अंतिम रूप से हल करने का प्रयास करेगी।

(5) अपील पर कार्रवाई करते समय, यदि शिकायत अपीलीय समिति आवश्यक महसूस करती है तो, वह किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मांग सकती है जिसके पास विषय-वस्तु में अध्यापेक्षित अर्हता, अनुभव और विशेषज्ञता हो।

(6) शिकायत अपीलीय समिति एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र अपनाएगी जिसमें अपील दायर करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल मोड के माध्यम से संचालित की जाएगी।

(7) शिकायत अपीलीय समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यवर्ती द्वारा किया जाएगा और इस आशय की एक रिपोर्ट उसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।"।

[फा. सं. 2(3)/2022-सीएल]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2022

**G.S.R. 794(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (z) and (zg) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, namely:—

**1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (hereafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ka) 'Grievance Appellate Committee' means a grievance appellate committee constituted under rule 3A;".

**3.** In rule 3 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(a) the intermediary shall prominently publish on its website, mobile based application or both, as the case may be, the rules and regulations, privacy policy and user agreement in English or any language specified in the Eighth Schedule to the Constitution for access or usage of its computer resource by any person in the language of his choice and ensure compliance of the same;

(b) the intermediary shall inform its rules and regulations, privacy policy and user agreement to the user in English or any language specified in the Eighth Schedule to the Constitution in the language of his choice and shall make reasonable efforts to cause the user of its computer resource not to host, display, upload, modify, publish, transmit, store, update or share any information that,—

(i) belongs to another person and to which the user does not have any right;

(ii) is obscene, pornographic, paedophilic, invasive of another's privacy including bodily privacy, insulting or harassing on the basis of gender, racially or ethnically objectionable, relating or encouraging money laundering or gambling, or promoting enmity between different groups on the grounds of religion or caste with the intent to incite violence;

(iii) is harmful to child;

(iv) infringes any patent, trademark, copyright or other proprietary rights;

(v) deceives or misleads the addressee about the origin of the message or knowingly and intentionally communicates any misinformation or information which is patently false and untrue or misleading in nature;

(vi) impersonates another person;

(vii) threatens the unity, integrity, defence, security or sovereignty of India, friendly relations with foreign States, or public order, or causes incitement to the commission of any cognisable offence, or prevents investigation of any offence, or is insulting other nation;

(viii) contains software virus or any other computer code, file or program designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer resource;

(ix) violates any law for the time being in force;";

(ii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) the intermediary shall periodically, and at least once in a year, inform its users in English or any language specified in the Eighth Schedule to the Constitution in the language of his choice of its rules and regulations, privacy policy or user agreement or any change in the rules and regulations, privacy policy or user agreement, as the case may be;";

(iii) after clause (l), the following clauses shall be inserted, namely,—

"(m) the intermediary shall take all reasonable measures to ensure accessibility of its services to users along with reasonable expectation of due diligence, privacy and transparency;

(n) the intermediary shall respect all the rights accorded to the citizens under the Constitution, including in the articles 14, 19 and 21.";

(b) in sub-rule (2), in clause (a), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(i) acknowledge the complaint within twenty-four hours and resolve such complaint within a period of fifteen days from the date of its receipt:

Provided that the complaint in the nature of request for removal of information or communication link relating to clause (b) of sub-rule (1) of rule 3, except sub-clauses (i), (iv) and (ix), shall be acted upon as expeditiously as possible and shall be resolved within seventy-two hours of such reporting;

Provided further that appropriate safeguards may be developed by the intermediary to avoid any misuse by users;".

**4.** After rule 3 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"**3A. Appeal to Grievance Appellate Committee(s).—**(1) The Central Government shall, by notification, establish one or more Grievance Appellate Committees within three months from the date of commencement of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2022.

(2) Each Grievance Appellate Committee shall consist of a chairperson and two whole time members appointed by the Central Government, of which one shall be a member *ex-officio* and two shall be independent members.

(3) Any person aggrieved by a decision of the Grievance Officer may prefer an appeal to the Grievance Appellate Committee within a period of thirty days from the date of receipt of communication from the Grievance Officer.

(4) The Grievance Appellate Committee shall deal with such appeal expeditiously and shall make an endeavour to resolve the appeal finally within thirty calendar days from the date of receipt of the appeal.

(5) While dealing with the appeal if the Grievance Appellate Committee feels necessary, it may seek assistance from any person having requisite qualification, experience and expertise in the subject matter.

(6) The Grievance Appellate Committee shall adopt an online dispute resolution mechanism wherein the entire appeal process, from filing of appeal to the decision thereof, shall be conducted through digital mode.

(7) Every order passed by the Grievance Appellate Committee shall be complied with by the intermediary concerned and a report to that effect shall be uploaded on its website.".

[F. No. 2(3)/2022-CL]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA